

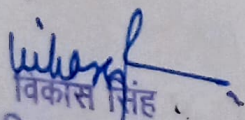
कल्याणमल / रामप्यारी

C.S. 31/14

04.10.25

वकुलाय परीदेन उप०

वकील प्रातिवादी सं. १ ता ३ न
साक्ष्य प्रातिवादी में अवसर चाहा
पूर्व में कोर्ट पर अवसर दिया
गया है। प्रकरण लक्षित रहा है। लक्षित
को अवसर दिया जाता - माना निम्न
नहीं है साक्ष्य प्रातिवादी सं. १ ता ३
बन्ध की जाती है। परावली साक्ष्य
प्रातिवादी में दिनांक 08.10.25 को
पेश हो


विकास सिंह

अवर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-2, अजमेर